राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः–प.6(29)नविवि/3/2004/ जयपुर 29 NOV 2022
दिनांक

आदेश

स्थानीय निकाय द्वारा अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि आवंटित करने के संबंध में जारी विभागीय आदेश समसंख्याक दिनांक 01.06.22 व 05.06.22 के बिन्दु संख्या 3.1.2 (घ), एवं (ड), 5(iii) व 14.1 को प्रतिस्थापित तथा बिन्दु संख्या 6.3 व 16 नया निम्न प्रकार जोडा जाता है।

3.1.2(घ):– जिस भूमि के 90–बी/90–ए की जा चुकी है, समस्त राशि जमा हो चुकी है परन्तु पट्टा जारी नहीं किया गया है ऐसे प्रकरणों में यदि 90–बी/90–ए आवासीय प्रयोजनार्थ की गई है तो 50 प्रतिशत सममूल्य आवासीय भूमि आवंटित की जा सकेगी एवं यदि 90–बी/90–ए व्यवसायिक प्रयोजनार्थ की गई है तो अवाप्त भूमि के बदले 50 प्रतिशत सममूल्य व्यवसायिक भूमि आवंटन की जा सकेगी।
जिन प्रकरणों में 90–बी/90–ए हो चुकी है, परन्तु सम्पूर्ण राशि जमा नहीं है तो सामान्य 25 (20+5) प्रतिशत भूमि ही देय होगी।

3.1.2(ड):– मास्टर प्लान के इकोलॉजिकल जोन/परिधि नियंत्रण क्षेत्र से अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में स्थित आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि जिसकी 90–बी/90–ए की जा चुकी है एवं पट्टा जारी किया जा चुका है कि अवाप्ति के बदले 100 प्रतिशत सममूल्य आवासीय भूमि आवंटित की जा सकेगी।
मास्टर प्लान के इकोलॉजिकल जोन/परिधि नियंत्रण क्षेत्र से अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भूमि जिसकी 90–बी/90–ए की जा चुकी है एवं पट्टा जारी किया जा चुका है कि अवाप्ति के बदले 100 प्रतिशत सममूल्य व्यवसायिक भूमि आवंटित की जा सकेगी।

5.(iii):– भूमि अवाप्ति अवार्ड नकद मुआवजे का पारित किया गया है, परंतु नगद मुआवजा खातेदार ने नहीं लिया है। मौके पर खातेदार का कब्जा है या न्यायालय से स्थगन आदेश है।

14.1:– जिन प्रकरणों में अवार्ड नकद मुआवजे का है एवं निकाय द्वारा भूमि का कब्जा प्राप्त कर योजना की क्रियान्विति की जा चुकी है तथा मुआवजा राशि न्यायालय में जमा है या मुआवजा राशि का भुगतान खातेदार को किया जा चुका है उनमें विकसीत भूमि का आवंटन नहीं किया जायेगा।

6.3 (नया):– जिन प्रकरणों में आरक्षण पत्र जारी किया जा चुका है या निर्धारित अवधि में विकल्प पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है उनमें विकसित भूमि आवंटित की जा सकेगी।

16.(नया):– नगरीय निकायों में भूमि अवाप्ति/अर्जन के बदले मुआवजे के रूप में विकसित भूमि आवंटन करने की प्रक्रिया के आदेशों के अन्तर्गत किसी प्रकरण विशेष में कोई कठिनाई होने पर राज्य सरकार गुणावगुण के आधार पर समुचित निर्णय कर सकेगी।

25.11.2021

(डॉ जोगाराम)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन सचिव

राज्यपाल की आज्ञा से

25/11/21

(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकस, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकस, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
10. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
11. सचिव, नगरीय विकास विभाग, समस्त राजस्थान।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव